

प्रपत्र XVII

अधिनियम की धारा 93(1) के अन्तर्गत अधिसूचना

समाहरणालय, खूँटी

(जिला भू-अर्जन शाखा, खूँटी)


भू-अर्जन की वापसी

पत्रांक:- 27(i)

दिनांक:- 07/09/2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा- 93(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित सरकार अर्जनाधीन भूमि के अर्जन को वापस लिया जाता है। अर्जित कुल भूमि रकबा 14.47 एकड़ जो ग्राम बडानी थाना अड़की थाना सं० 34 अंचल अड़की जिला खूँटी में अवस्थित है, जिसे अधिघोषणा सं० 52(i) दिनांक 16.07.2019 एवं खूँटी जिला के गजट सं० 22 दिनांक 16.08.2019 में पृष्ठ सं० 6-7 तथा दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण दिनांक 19.07.19 को प्रकाशित कर अधिग्रहित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है- भूमि एवं सीमा का विवरण

क्र०	खाता संख्या	सर्वे भू-खण्ड संख्या	भू-स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या) उ० द० पू० प०
78	80	1787	गैर मजरूआ आम खेवट न० 4/30	जंगल झाड़ी	0.09	गैर मजरूआ आम खेवट न० 4/30 सम्मिलात मालिकान	उ० नीज द० नीज पु० नीज प० नीज
79	80	1297/1959A	सम्मिलात मालिकान	जंगल	0.17		उ० नीज द० सड़क पु० सिवाना प० रास्ता
80	80	1299		परती कदीम	1.07		उ० सरकारी द० लुकीन मुण्डा पु० नीज प० सड़क
81	80	1286		जंगल मसोला	0.30		उ० माधव सिंह द० लुभ्या मुण्डा पु० सड़क प० नीज
82	81	974		गैरमजरूआ आम खेवट न० 4/30 सम्मिलात मालिकान	रास्ता		1.215
83	81	1298	2.39				
84	81	1797	0.35				
85	81	1170	0.295				
86		971	गैर मजरूआ आम खेवट न० 4/30 सम्मिलात मालिकान	देव स्थान	0.04		उ० सड़क द० नीज पु० चैतन मुण्डा प० नीज
				कुल	5.92		


 उपायुक्त,
 खूँटी।